# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।

पीठासीन अधिकारी – श्री हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस.

मु0 नं0 –132/2007
प्रकरण दर्ज – 17.10.2007
प्रकरण निस्तारण – 8.11.2019

अनुवानी प्रकरण

1. रामसहाय पुत्र रामहेत (मृतक) के बजाय :–
1/1. नवलकिशोर पुत्र रामसहाय
2. शोभाराम पुत्र सोन्या
जातियान मीना निवासी करोडी तहसील सिकराय जिला दौसा (राज0)।

– वादीगण

बनाम

1. मु0 धापा बेवा जोहरी
2. मु0 रमको बेवा दीवान
3. दीनू पुत्र दीवान
4. मंगली बेवा किशोरी
5. रामसिंह पुत्र किशोरी
6. हरकेश पुत्र किशोरी
7. प्रभुदयाल पुत्र घण्टोली
8. चिरंजी पुत्र घण्टोली
समस्त मीना निवासी करोडी तहसील सिकराय जिला दौसा (राज0)।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।
10. भूमि अवाप्ति अधिकारी तहसील सिकराय।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक, एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक –8.11.2019

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि आराजी खसरा नंबर 17/1 रकबा 8 बीघा वाके रामा खेडा पहाडपुर तहसील सिकराय मे स्थित है जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम अंकित है। उक्त आराजी पूर्व मे संवत 2017 मे खसरा नंबर 17 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा थी। उक्त भूमि मे से 4 बिस्वा भूमि नंशनल हाई वे मे चली जाने से खसरा नंबर 17 के मिन खसरा नंबर 17/1 रकबा 8 बीघा अलग से राजस्व रिकाड्र मे अंकित की गई है तथा खसरा नंबर 17 रकबा 4 बिस्वा का नामान्तकरण एन.एच.11 के नाम दर्ज किया गया है। खसरा नंबर 17 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा वरवक्त एकीकरण संवत 2017 मे खसरा नंबर 21 मिन रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 22 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 13 मिन रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 23 मिन रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 26 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 29 मिन रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 36 मिन रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 30 मिन रकबा 5 बिस्वा कुल रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा समायोजित

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला–दौसा

Scanned by CamScanner

कर खसरा नंबर 17 एकीकरण मे कर दिया। वादीगण की उक्त भूमि खसरा नंबर 17/1 रकबा 8 बीघा वाके रामा खेडा पहाडपुर जो कि नेशनल हाईवे नंबर 11 के पास है जिसमे फोर लाईन मे भूमि जाने का मुआवजा मिल रहा था तब वादीगण ने अपना मुआवजा राशी लेने हेतु पटवारी हल्का से मालुम किया तो पता चला कि वादीगण की भूमि खसरा नंबर 17/1 जो कि एन.एच. के पास है का मुआवजा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के नाम स्वीकृत हुआ है। उक्त भूमि मे प्रतिवादीगण ने गुपचुप तरीके से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम खातेदारी अंकित करा ली जो गलत है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि मे किसी प्रकार का हक व अधिकारी नही है। इस कारण वादीगण उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम से हटाकर अपने नाम दुरूस्ती करवाने के अधिकारी हैं। इसलिये खसरा नंबर 17/1 की खातेदारी मे से प्रतिवादीगण का नाम हटाकर वादीगण के नाम खातेदारी की घोषणा की जावे व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। उक्त भूमि के वर्तमान खसरा नंबर 289/20 रकबा 1.74 हैक्टेयर सैटलमेंट द्वारा कायम किये गये हैं।

इस प्रकार दावा दर्ज होने पर प्रतिवादीगण की तलवी की गई। प्रतिवादीगण ने हाजिर आकर जवाबदावा पेश किया। तनकीयात कायम की गई। प्रतिवादीगण के हाजिर नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 13.9.2019 को वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पेश करने दस्तावेज स्वीकार किया जाकर दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गये। साक्ष्य वादी पी डब्ल्यू 1 शोभाराम पुत्र सोन्या पी डब्ल्यू 2 नवलकिशोर पुत्र रामसहाय पी डब्ल्यू 3 देवीसहाय पुत्र गिर्राज प्रसाद के शपथ पत्र पेश किये गये।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस का मनन किया। वादीगण द्वारा आराजी खसरा नंबर 17/1 रकबा 8 बीघा वाके रामा खेडा पहाडपुर का बाबत सम्पूर्ण रकबा हेतु उद्घोषणा चाही गई है किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वर्तमान मे 8 बीघा भूमि मे से वादीगण को 5 बीघा भूमि एवं प्रतिवादीगण को 3 बीघा भूमि के खातेदार प्रकट होना साबित होता है। इसलिये वादीगण को हिस्सा 5/8 व प्रतिवादीगण को हिस्सा 3/8 का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है। प्रकरण दुरूस्ती किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा विवादित भूमि खसरा नंबर पूर्व खसरा नंबर 17/1 रकबा 8 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नंबर 289/20 रकबा 1.74 हैक्टेयर वाके रामा खेडा पहाडपुर तहसील सिकराय मे वादीगण को हिस्सा 5/8 व प्रतिवादीगण को हिस्सा 3/8 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी कदर राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते हैं। साथ ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण को एक दूसरे के घोषित किये गये उनके हक व हिस्से मे दखलन्दाजी नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 8.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

8/11/19

हरिताभ कुमार आदित्य
उपखण्ड अधिकारी सिकराय।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Haritabh Kumar Aditya
Date: 2019.11.20 17:09:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: